राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ जयपुर

आदेश

एकलपीठ दाण्डिक पुनरीक्षण याचिका संख्या-880/2007

श्रीमती मौसमी सरकार व अन्य बनाम संजय सरकार व अन्य

दिनांक-**23.11.2007**

माननीय न्यायाधिपति श्री जितेन्द्र राय गोयल

सुश्री स्नेह लता शर्मा, अधिवक्ता वास्ते
, श्री पी के शर्मा, अधिवक्ता-निगरानीकारान् की ओर से
श्री आर एम जैन, अधिवक्ता, वास्ते
श्री ए के भार्गव, अधिवक्ता- विपक्षीगण की ओर से

--

श्रीमती मौसमी सरकार व अन्य की ओर से यह निगरानी याचिका पारिवारिक न्यायालय क्र.सं.2 जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.11.2003 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा निगरानीकारान् द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 127 जाप्ता फौजदारी का खारिज किया गया है।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को इस निगरानी याचिका के ग्रहणार्थ के बिन्दू पर सुना व पत्रावली एवं दौरान बहस प्रस्तुत सामग्री का अवलोकन किया।

निगरानीकारान् मौसमी सरकार ने अपने बयानों में यह कथन किया है कि उसके पति संजय सरकार क्या कार्य करते हैं तथा कितना रूपया कमाते हैं जबकि विपक्षी संजय सरकार स्वयं को बेरोजगार होना बताया है। इन सभी परिस्थतियों पर विचार करते हुए पारिवारिक न्यायालय द्वारा यह पाते हुए कि निगरानीकारान् यह सिद्ध करने में नितान्त असफल रहे है कि विपक्षी संजय सरकार की क्या आमदनी है, गुजारे भत्ते में बढ़ोतरी करने का कोई आदेश पारित नहीं किया है, हमारे मत में पारिवारिक न्यायालय ने अपने आक्षेपित आदेश के अन्तर्गत धारा 127 जाप्ता फौजदारी के प्रार्थना पत्र को निरस्त करने के जो कारण दिये है, उसमें कोई विधि विरूद्धता एवं अनुचितता परिलक्षित नहीं हो रही है।

फलस्वरूप निगरानीकारान् द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी याचिका सारहीन होने व ग्रहण किये जाने योग्य नहीं होने के कारण इसे इसी प्रक्रम पर निरस्त किया जाता है।

लेकिन न्याय हित में निगरानीकारान् को यह स्वतंत्रता दी जाती है कि यदि परिस्थितियों में कोई परिवर्तन हुआ है तो उसके संदर्भ में वे विधि सम्मत ढंग से सम्बन्धित न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्रत है।

(न्या0 जितेन्द्र राय गोयल)